(घ) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में उपरोक्त स्टेशन के निर्माण पर कितना व्यय हुआ था ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी नहीं। महादेवपुर घाट स्टेशन का स्थान-परिवर्तन सामान्यतः वर्ष में एक बार भारी बाढ़ के दौरान ऊंची जगह पर और पानी का स्तर गिर जाने पर निचली जगह पर कर दिया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 1970-71 और 1971-72 के दौरान महादेवपुर घाट स्टेशन के सभी स्थान परिवर्तनों के सम्बन्ध में निर्माण और अनुरक्षण पर क्रमशः 3,85,000 रुपये और 3,64,000 रुपये खर्च हुए।

पूर्वोत्तर रेलवे में भागलपुर से बरारीघाट के बीच गाड़ी का बन्द किया जाना

1069. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिहार सरकार को अपने पत्र द्वारा आग्रह किया है कि पूर्वोत्तर रेलवे में भागलपुर से बरारीघाट के बीच राज्य परिवहन की बसों को चलाने की व्यवस्था की जाये क्योंकि रेलवे इन स्थानों के बीच चलने वाली गाड़ियों को बन्द कर देना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा आग्रह करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी हां, पूर्वोत्तर रेल प्रशासन ने महादीपपुर घाट और बरारीघाट के बीच यात्री यातायात के लिए घाट सेवा बन्द करने के लिए सहमति देने हेतु बिहार सरकार को लिखा था। इस सन्दर्भ में उससे यह भी अनुरोध किया गया था कि यह नदी के आर-पार आने-जाने वाले यात्री यातायात और बरारीघाट और भागलपुर के बीच सड़क पर होने वाले यात्री यातायात को सम्हालने के लिए एक एजेन्ट नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करे या इन सेवाओं को अपने हाथ में ले ले। रेल प्रशासन ने अपनी यह भी इच्छा व्यक्त की है कि जब तक राज्य सरकार उपयुक्त बस सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर लेती, तब तक वह भागलपुर-बरारी घाट खण्ड में यात्री सेवाएं जारी रखेगा। राज्य सरकार और रेल अधिकारियों की एक बैठक में इस विषय पर विचार विमर्श करने का प्रस्ताव भी किया गया है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है।

(ख) ऊपर बताया गया अनुरोध उस भारी हानि से बचने के लिए किया गया है जो रेलों को इन सेवाओं के परिचालन में हो रही है। बिहार सरकार द्वारा दिये गये लाइसेंस के अन्तर्गत एक निजी घाट-सेवा पहले से ही महादेवपुर घाट और बरारीघाट के बीच चालू है।

इन्दौर (मध्य प्रदेश) के लोकमान्य नगर में फ्लैग रेलवे स्टेशन का निर्माण

1070. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन्दौर (मध्य प्रदेश) के लोकमान्य नगर में फ्लैग रेलवे स्टेशन बनाने की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) इस कार्य से सम्बन्धित विस्तृत योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। जैसे अनुमानों को अन्तिम रूप दे दिये जाने पर यह कार्य शुरू कर दिया जायेगा। आशा है, यह कार्य 30 जून, 1973 तक पूरा हो जायेगा।

Report by C.W.P.C. to U.N. Seminar on Safe Water Supply to Rural Population

1071. SHRI B. S. BHAURA: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether the Central Water and Power Commission has submitted a report to the U.N. Seminar on minimum safe water supply to India's rural population; and

(b) if so, the main features thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BALGOVIND VERMA): (a) and (b). The Adviser, Public Health Engineering of the Minisrty of Health contributed an article entitled "Progress of Community Water Supply in India" to a souvenir brought out by the Central Water and Power Commission on the occasion of the recent United Nations Seminar on Water Resources Administration.

The author has assessed that Rs. 1,800 crores may be needed to cover the whole of rural India with a minimum safe water supply; and that Rs. 4000 crores may be needed to provide water supply and sewerage facilities to an optimum level to the entire urban population.

Narmada River Water Disputes

1072. SHRI K. S. CHAVDA:
SHRI PRABHUDAS PATEL:

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) the present stage of the Narmada river water dispute; and

(b) when the matter is likely to be finalised?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BALGOVIND VERMA): (a) and (b). The dispute relating to the Narmada water amongst the States of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan had been referred to the Narmada Water Disputes Tribunal in October, 1969 for adjudication. While the adjudication proceedings were in progress, the Chief Ministers of the four States met in July, 1972, and felt that development of Narmada should no longer be delayed in the best regional and national interests and agreed to the settlement of the disputes connected with this river by mutual agreement and with the assistance of the Prime Minister of India. The Chief Ministers have agreed that Rajasthan and Maharashtra would have 0.5 and 0.25 million acre feet respectively of Narmada water for use in their territories and would abide by the decision of the Prime Minister in regard to the allocation of the balance water between Madhya Pradesh and Gujarat and in regard to the height of the Navagam Dam proposed by the Government of Gujarat.

The award of the Prime Minister is likely to be given soon. Thereafter the Chief Ministers will meet and finalise the arrangements for the power generation and its distribution.

Rural Electrification in States

1073. SHRI K. S. CHAVDA:
SHRI D. K. PANDA:

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) the progress with regard to rural electrification made so far in the different States; and

(b) the criteria for considering a village as electrified and whether by this criteria there is any State which has achieved 100 per cent rural electrification?